

परिपत्र संख्या-विधि-२(१)फार्म मिसिंग-(10)(2010-2011)/ ५३/ १११२ ००९ /वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)


लखनऊ // दिनांक // ३ अप्रैल, 2011

नोटिस

विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम - (13) के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, एच,एफ वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	मेसर्स ओम शिव आइस एण्ड मिल्क चिलिंग सेन्टर, चौड़ियाई, गंजडुण्डवारा	फार्म- सी, संख्या- 053699360	मोटर साइकिल से घर आते हुये गिर गये	01
2-	सर्वश्री हिन्दुस्तान सेनेटरी पलैस, मो०- पंसारियान, शामली ।	फार्म- 'सी' सीरीज- 2008 संख्या- 1692594 एवं 1692595	खोने के कारण	02
3-	मेसर्स फ्लोवर जुराक ट्रेडर्स, फैजांगंज रोड, मुरादाबाद ।	फार्म- 'एच' संख्या- 0009084	खोने के कारण	01
4-	सर्वश्री विजय एण्ड ब्रदर्श, सरायमीर, आजमगढ़	फार्म- 'सी' संख्या - 413817, 413818, 413819, 369211, 369220, 1475295, 667097, 124587, 124956, 124961, 124965, 358526, 358528, 476110, 476114, 480631, 480634, 20095 एवं 20099	खोने के कारण	19
5-	सर्वश्री रतनलाल आनन्द कान्ट्रेक्टर, 686 मसीहागंज, सीपरी बाजार, झांसी	फार्म 'सी' संख्या- 0284063 एवं 0284064	खोने के कारण	02
6-	सर्वश्री अनिल एजेन्सी, साहबगंज, गोरखपुर ।	फार्म - 'सी' संख्या- 2352235	खोने के कारण	01


(राजेन्द्र प्रसाद)

एडीशनल कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पुण्यसं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।

- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को।
- 5- महालेखाकार, ३०प्र० १७१-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।
- 6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१ वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (विद्युत अनुभाग/अपील) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 10- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ।
- 11- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 13- सूचना केन्द्र को ५ अतिरिक्त प्रतियों।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को ५ प्रतियों एवं विधि अनुभाग को १५ अतिरिक्त प्रतियों।


 (सुशील कुमार दुबे)
 असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय।